Form No. III
फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

माधुलाल वगैराह बनाम **शंकरलाल वगैराह**

किस्म मुकदमा **राजस्व अपील** नं0 **031** सन् **2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.12.2021	पत्रावली सिगहे से पेश हुई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर द्वारा पत्रांक/प्र.सं. 66/21/(जीसीएमएस 2021/75) चित्तौड़गढ दिनांक 24.09.2021 से प्रेषित की गई है जो कि दिनांक 13.12.2021 को प्राप्त हुई है। माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24.09.2021 से उपखण्ड अधिकारी राशमी के प्रकरण संख्या 001/2018 निर्णय दिनांक 04.06.2018 अनवानी माधुलाल वगैराह बनाम शंकरलाल वगैराह अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को अपास्त किया जाकर उभयपक्षों की विधिवत सुनवाई कर निर्णय पारित किये जाने के निर्देशों के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाकर प्रकरण में पक्षकारान को दिनांक 10.11.2021 को इस न्यायालय में उपस्थित रहने के निर्देश प्रदान किये गये है। माननीय न्यायालय द्वारा नियत की गई पेशी दिनांक व्यतीत हो चुकी है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। माननीय न्यायायल अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर से प्राप्त निर्देशों की पालना में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण राशमी तहसील क्षेत्र का है। तहसील क्षेत्र राशमी हेतु वर्तमान में न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ अधिकृत है। ऐसी स्थिति में प्रकरण न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर चित्तौड़गढ़ को अन्तरित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर के निर्देशानुसार उभयपक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करते निर्णय पारित किया जावें। तद्नुसार इस न्यायालय में पत्रावली में कार्यवाही समाप्त की जाती है एवं मूल पत्रावली न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर चित्तौड़गढ़ को अन्तरित की जाती है। पत्रावली का मुसन्ना कायम किया जाकर रिकार्ड में रखा जावें। तद्नुसार अभिलेख में अंकन किया जावें। -SD- (तारा चन्द मीणा) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ 22.12.2021	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official